## तेजाब फेंकना गम्भीर अपराध है

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

**हेल्प लाईन नं.**
**15100**
**9928900900**

# ऐसिड (तेजाब) (Acid) के उपयोग व विक्रय की सावधानी बाबत् सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिवर्तन केन्द्र बनाम भारत संघ (Criminal Writ) सं. 867/2013 व लक्ष्मी बनाम भारत संघ (Criminal Writ) सं. 129/2006 प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार-

- केवल लाईसेन्सशुदा विक्रेता ही ऐसिड/तेजाब का क्रय-विक्रय एवं भंडारण कर सकता है
- किसी भी उपभोक्ता को ऐसिड की निर्धारित मात्रा से अधिक का विक्रय नहीं किया जा सकता है
- 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को ऐसिड का बेचान (Sale) नहीं किया जावेगा
- कोई भी उपभोक्ता जो ऐसिड खरीदने की इच्छा रखता है उसे भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध करवानी होगी
- विक्रेता/दुकानदार के द्वारा संधारित किए जाने वाले रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण सहित इसकी प्रविष्टि की जावेगी जिसमें निम्नलिखित विवरण उल्लेखित होगा-

| उपभोक्ता का नाम | पता | फोन नम्बर | खरीदने का कारण | खरीदने की मात्रा | हस्ताक्षर व दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

- रजिस्टर हमेशा सभी अधिकृत प्राधिकारी के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जावेगा

## आदेश की पालना करना सभी का दायित्व है

### एसिड के हमले के संबंध में दण्ड का प्रावधान

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क के अनुसार- ऐसिड द्वारा गम्भीर चोट पहुंचाने पर दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास सहित आर्थिक दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326ख के अनुसार- जानबूझकर तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष से सात वर्ष तक के कारावास सहित आर्थिक दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

### पीडित प्रतिकर

ऐसिड हमले की घटना के घटित होने या पुलिस थाने के SHO से प्राप्त सूचना के पन्द्रह दिन के भीतर पीडित को राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अधीन तीन लाख रूपए तक की राशि की सहायता जिला विधिक सेवा प्रधिकरण द्वारा प्रदान करने का प्रावधान है।

**निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह हेतु सम्पर्क करें-**
**जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति**

जनहित में जारी:


## राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

website
www.rlsa.gov.in

Phone: 0141-2227481, Fax: 2227602, Toll Free Help Line: 15100, 9928900900, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com


जब किसी पुलिस थाने के SHO को तेजाब के हमले की कोई सूचना प्राप्त होती है तो वह चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा समर्थित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति तीन दिन के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। जब मामला जिला मजिस्ट्रेट के नोटिस में लाया जाता है तो वह तत्काल इस संबंध में चिकित्सीय ध्यान और व्ययों को सरल बनायेगा और प्रतिकर अधिनिर्णय के लिए दो दिन के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपनी सिफारिश भेजेगा।